

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० क०० शतपथी,  
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची/ प्रबंध निदेशक;  
झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम (लि.),  
(झालको), राँची,  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : ०१.६.१२

विषय :-

माँग संख्या-५०-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-१०१-सतही जल, उप शीर्ष-२०-पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुर्नस्थापन विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण, ४३ अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण, विपत्र कोड-५०P470200101200543 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट-१ में अंकित उप शीर्ष, विस्तृत शीर्ष एवं विपत्र कोड के अधीन दर्शाये गये कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र०	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1	५०-लघु सिंचाई विभाग/ ४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	१०१-सतही जल, उप शीर्ष-२०-पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुर्नस्थापन	०५-निर्माण, ४३ अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण/ ५०P470200101200543	९३.९०

आवंटित राशि - ₹ तिरानबे लाख नब्बे हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१२-२०१३ के बजट उपबंध रु. ३५०.०० लाख (तीन करोड़ पचास लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप किया जाएगा।
- प्रबंध निदेशक, झालको द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति में निहित निदेशों/शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- कार्यों की जाँच जिला में कार्यरत लघु सिंचाई प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जाएगा एवं उनके स्तर से नियमित जाँच प्रतिवेदन मुख्य अभियंता योजना एवं मोनिटरिंग को प्रेषित किया जाएगा।
- अधीक्षण अभियंता मोनिटरिंग अंचल-३ एवं मुख्य अभियंता, मोनिटरिंग कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)  
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)  
उप सचिव (अभि०)

(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयक्त सचिव (अभि०)

(बी०सी० निगम)  
विशेष सचिव

9. आवंटित राशि के 70% का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर हीं शेष राशि आवंटित की जायेगी।
10. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
11. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
12. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
13. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रबंध निदेशक झालको (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी) संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. प्रबंध निदेशक, झालको प्रस्तावित कार्य हेतु आवंटित राशि को पी.एल. खाता में जमा करेंगे।
16. इस राशि की निकासी प्रबंध निदेशक, झालको एवं संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।
17. इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्रारंभ कर वित्तीय वर्ष 2012-13 में निश्चित रूप से पूरा किया जायेगा।
18. कार्य को डिपोजिट वर्क (Deposit Work) के रूप में कराया जाएगा।
19. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु० :— यथोक्त

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव

झापांक :—

34

रॉची, दिनांक :— ०१. ६. १२

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक्क) झारखण्ड पो. — हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/लातेहार सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :— यथोक्त

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव

झापांक :—

34

रॉची, दिनांक :— ०१. ६. १२

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख —। एवं ॥ जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि०) /उप सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।

(ओंकार नाथ)  
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)  
उप सचिव (अभि०)

(सुबोद्ध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि०)

(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)

प्रधान सचिव

